प्रकरण संख्या 16/2024 कलसुम बानो बनाम अमीर मोहम्मद व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली में आराजी नंबर 4785/1541 एवं 4915/1542 कुल किता 2 रकबा 0.2590 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष खुदा बक्श थे, जिनके तीन पुत्र अली मोहम्मद, ताज मोहम्मद, पीर मोहम्मद हुए। अली मोहम्मद फोत होकर उसके पुत्र सफी मोहम्मद, अमीर मोहम्मद (विपक्षी संख्या 1) तथा प्रार्थीया कुलसुम बानु पुत्री है, किन्तु अली मोहम्मद की मृत्यु होने पर विरासत का इन्तकाल संख्या 1165 में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं हुआ, केवल विपक्षी संख्या 1 का नाम ही दर्ज हुआ, जबकि प्रार्थीया का भी विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित होकर काबिज चली आ रही है। विवादित आराजियात में प्रार्थीया का हक अधिकार निहित होते हुए भी भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से भूमि खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थीया को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 03.06.2023 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, तत्पश्चात विपक्षी संख्या 1 के जवाब पर बहस सुनकर दिनांक 28.05.2024 को उक्त जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 03.06.2023 को स्थगन जारी किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं उसके साथ अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जवाब लिये दिनांक 28.05.2024 को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये स्थगन आदेश निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संलुतन अपीलान्ट के पक्ष में होने से यदि स्थगन जारी नहीं रखा जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.05.2024 अपास्त किया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2024 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जिसका जवाब पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आधार पर खारिज कर दी कि प्रार्थी स्वयं बहस नहीं कर प्रकरण में आगामी पेशी चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि सम्मत है, क्योंकि अंतरित निषेधाज्ञा सिर्फ आगामी पेशी तक ही दी गयी थी, जिसका जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 44/2023 निर्णय दिनांक 28.05.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:51 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:51 IST
Reason: SelfAttested